

A
29-9-18

A
29-9-18

Government of Himachal Pradesh
Department of Language, Art & Culture

No. LCD- F (3) -1/2018 Dated: Shimla- 2 29- September 2018

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the scheme "Dev Bhoomi Darshan" (Annexure- A) as per the Budget Assurance-2018 of the Hon'ble Chief Minister to provide transport facility for senior citizens of the State to visit different religious places in the State formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By Order

Purnima Chauhan
Secretary (LAC) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. As Above Dated Shimla-2 the September 2018
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
2. The Private Secretary to the Chief Secretary, Himachal Pradesh.
3. The Private Secretary to the Addl. Chief Secretary-cum- Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
4. The Private Secretary to the Principal Private Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh.
5. Director (LAC), Himachal Pradesh.
6. Director, Information and Public Relations, Himachal Pradesh.
7. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
8. All District Language Officers, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

2.1

(Rajesh Sharma)
Deputy Secretary (LAC) to the
Govt. of Himachal Pradesh

देव भूमि दर्शन योजना

प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भ्रमण योजना

1 प्रस्तावना:-

हिमाचल प्रदेश/भारत अथवा वैश्विक स्तर पर भी नाभिकीय/एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं जोकि परिवार के सदस्यों द्वारा रोजगार के अवसर तलाशने में संयुक्त परिवारों को छोड़ने से हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में मितव्ययता के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम स्तर पर रखा जा रहा है जिससे कर्मचारियों को अवकाश न मिलने से उनका सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इसका परिणाम परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है जिनके लिए बच्चे समय नहीं दे पाते हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को देव भूमि हिमाचल के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करवाने हेतु "देव भूमि दर्शन योजना" बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यह योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि वृद्ध व्यक्तियों को बेहतर व उत्तम परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। समाज के वृद्ध समुदाय को अकेलेपन व सामाजिक अलगाव से बचाना। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के भ्रमण हेतु परिवहन सुविधा प्रदान करना। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करना जो कि एकल अथवा युगल होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। वित्तीय बाधाओं के चलते ऐसी यात्रा करने में असमर्थ वृद्धों को यात्रा का अवसर प्रदान करना।

2 उद्देशयः-

हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी वृद्ध जनता के प्रति संवेदनशील है। देव भूमि के नाम से पहचाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में वृद्धों की कुल संख्या: 7,00,000 के लगभग है। जीवन के सांय काल में व्यक्ति की सोच स्वतः ही धार्मिक व आध्यात्मिक हो जाती है। उन्हें एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वह अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ सोच व विचार साझा कर सकें।

3 प्रकृति और क्षेत्रः-

- 1 परिधि वाहन प्रदत्त होगी।
- 2 यह प्रत्येक जिला मुख्यालय में लागू होगी व इसका क्षेत्र पूर्ण राज्य तथा

- साथ लगते राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र भी होंगे।
- यात्रा मार्ग (रुट) समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- योजना निजी यात्रा संचालकों/पर्यटन विभाग अथवा अन्य किसी संस्था से प्रतिस्पर्धा की बोलियों के अनुसार कार्यान्वित करवाई जाएगी।

4 अवधि:-

- यह यात्रा लगभग 8 दिवस की होगी। यात्रा की अवधि घटाई अथवा बढ़ाई भी जा सकती है। यह गठित समिति पर निर्भर करेगा।
- वर्ष में यह यात्रा कब और कितनी बार होगी यह गठित समिति द्वारा तय किया जाएगा।

5 पात्रता:-

- हितग्राही की आयु 70 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।
- इस योजना के अधीन पूर्व तीन वर्ष में यात्रा न की हो।
- यात्रा हेतु शारिरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो।
- एकल अथवा युगल और 80 वर्ष से उपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक के साथ एक पारिवारिक सम्बन्धी अथवा पंजीकृत परिचर अनुमत होगा।
- हितग्राही की वार्षिक आय रु0 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसका वह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे।

6 आवेदन व अन्तिम तिथि :-

निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) पर आवेदन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी कार्यालय को किया जाएगा। आवेदन Online विभागीय Website पर भी किया जा सकेगा। आवेदन की अन्तिम तिथि गठित समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7 समिति:-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर निम्न समिति बनाई जाएगी।

1	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4	जिला कल्याण अधिकारी	सदस्य
5	जिला भाषा अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

- वर्ष के आरंभ में **Competitive Bids** के आधार पर यात्रा संचालक का चयन करेगी।
- चयनित यात्रा संचालक के साथ विचार-विर्मश कर यात्रा का Route, रहने, खाने व ठहरने का स्थान निर्धारित करेगी। समिति यात्रा कब व कितनी बार होगी यह भी तय करेगी।
- जिला भाषा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच कर यात्रियों की सूची अंतिम करेगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 'पहले आएं पहले पाएं' के आधार पर सूची अंतिम करेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों जैसे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र, हिमाचली होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र इत्यादि की जांच करेगी।
- यात्रा तथा योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन करेगी।
- यात्रा समाप्ति पर यात्रियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करेगी।

8 जिला भाषा अधिकारी

इस कार्यालय का निम्न उत्तरदायित्व होगा।

- पैरा 7 में गठित समिति द्वारा यात्रा संचालक के चयन व Route निर्धारण के उपरान्त योजना का प्रचार प्रसार करना तथा आवेदन आमंत्रित करना।
- प्राप्त आवेदनों की छंटनी कर समिति को प्रस्तुत करना।

3. समिति द्वारा अनुमोदन होने पर यात्रा आरंभ करवाना।

9 श्रद्धालुओं का उत्तरदायित्वः—

1. यात्रा के दौरान सहदयता बनाए रखना।
2. किसी प्रकार का नशा व धुम्रपान न करना।
3. यात्रा संचालक के दिशा-निर्देशों का पालन करना।
4. यात्रा से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना की यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना/प्राकृतिक आपदा हेतु यात्रा संचालक अथवा सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

10 वित्तः—

70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा हेतु 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

80 वर्ष से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक को निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी तथा उनके साथ एक पारिवारिक सम्बन्धी अथवा पंजीकृत परिचारक 50 प्रतिशत की छूट पर अनुमत होगा।

11 प्रचार व प्रसार

सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का 8 प्रतिशत प्रचार व प्रसार तथा 2 प्रतिशत अन्य प्रशासनिक कार्य पर व्यय किया जाएगा। योजना का प्रचार समाचार पत्रों, आकाशवाणी व ट्यूज चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

12 अन्य

भाषा-संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव, हिंप्र० सरकार, शिमला-2 को योजना से संबंधित स्पष्टीकरण तथा किसी भी प्रकार के निर्देश देने की शक्तियां होंगी।

13 अवशिष्ट शक्तियां

इस योजना के किसी भी प्रावधान पर विवाद होने पर व्याख्या की शक्तियां

भाषा—संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव, हिंप्र० सरकार, शिमला—२ में निहित होंगी तथा निर्णय अन्तिम होगा।

देव भूमि दर्शन' हेतु आवेदन

(आवेदन जिला भाषा अधिकारी के कार्यालय में भेजें तथा प्रमाण पत्रों की प्रतियां स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित हों)

1. आवेदक का नाम:
2. फोन नम्बर:
3. पिता / पति का नाम:
4. आपात स्थिति में पारिवारिक सम्पर्क:
का नाम व फोन नम्बर
.....
.....
.....
.....
5. आयुः
(जन्म तिथि का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
.....
.....
.....
.....
6. हिमाचली प्रमाण—पत्र:
(फोटो की प्रति संलग्न करें)
.....
7. हितग्राही सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग से पैन्शन प्राप्तकर्ता
(स्वयं द्वारा हस्ताक्षित)
.....
8. आधार कार्ड संख्या
(फोटो प्रति संलग्न करें)
.....
9. चिकित्सा प्रमाण पत्र
(पंजीकृत चिकित्सक से कि हितग्राही
8 दिन की यात्रा करने में सक्षम है)
.....
10. वर्तमान निवास पता
.....

(पिन कोड सहित)

स्थाई पता
(पिन कोड सहित)

प्रमाण पत्रः

मैं प्रमाणित करता हूँ कि गत तीन वर्षों में मैंने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

आवेदक हस्ताक्षर

No. LCD-F (3) -1/2018
 Government of Himachal Pradesh
 Language, Art and Culture Department

*✓ Adm-Secy
 15/12/2018
 15/12/2018
 15/12/2018*

From

The Secretary (LAC) to the
 Govt. of Himachal Pradesh

*✓ Adm-Secy
 15/12/2018
 15/12/2018*

To

The Director (LAC),
 Himachal Pradesh,
 Shimla- 9

*✓ Adm-Secy
 15/12/2018*

Dated: Shimla-2 the

*✓ Adm-Secy
 10 January 2019*

Subject:- Regarding Dev Bhoomi darshan scheme.

Sir,

I am directed to say that the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh in his budget speech 2018-19 had announced that a scheme namely "Dev Bhoomi Darshan" shall be formulated to provide transport facility to the senior citizens of the State to visit religious places. As per the budget assurance, transport facility was to be provided and the same was got approved by the Hon'ble Council of Ministers. However, tour package received from HPTDC comprises of food and stay facility also amounting to Rs. 9450/-

The matter was examined at the level of the Government wherein it has been decided that subsidy is to be provided on full package cost and not only on transport facility.

It is therefore requested that the scheme may be implemented accordingly.

Yours faithfully,

✓ Adm-Secy

(Rajesh Sharma)
 Deputy Secretary (LAC) to the
 Govt. of Himachal Pradesh
 (0177-2628480)

✓ Adm-Secy